



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, अटल नगर, रायपुर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840

ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-734/1455

रायपुर, दिनांक 07/06/2019

प्रति,

अपर मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, रायपुर

विषय: — आवेदनकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोण्डागांव का दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल अंतर्गत संरक्षित वन भूमि के रकबा 5.00 हे. में जवाहर नवोदय विद्यालय भवन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ: — 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 5-07/2019/10-2 दिनांक 20.05.2019
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा. चि/ न. क्र.25/ 2019/ 1513 दिनांक 04.06.2019
(संलग्न छाया प्रति 3 पृष्ठीय)

= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

शासन ने यह अभिमत मांगा है कि इस प्रकरण में राज्य शासन को नक्सल प्रभावित जिलों में सामान्य अनुमोदन के तहत दिये गये अधिकारों के अधीन प्रथम चरण अनुमति जारी करने हेतु अनुशंसा की गई है अथवा भारत सरकार से प्रथम चरण अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर भेजा जाना है।

कलेक्टर जिला कोण्डागांव के अपने पत्र दिनांक 29.05.2019 से सूचित किया है कि:-

“कोण्डागांव जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र अंतर्गत आता है। प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राज्य शासन को नक्सल प्रभावित जिलों में सामान्य अनुमोदन के तहत दिये गये अधिकारों के अधीन राज्य शासन स्तर से अनुमति जारी कराने का अनुरोध है।”

कृपया कलेक्टर, जिला कोण्डागांव के मतानुसार राज्य शासन को नक्सल प्रभावित जिलों में सामान्य अनुमोदन के तहत दिये गये अधिकारों के अधीन राज्य शासन स्तर से प्रथम चरण स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:- संदर्भित पत्र की छाया प्रति (3 पृष्ठीय)

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अर्तुल कुमार शुक्ला
(अर्तुल कुमार शुक्ला)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध /व. स. अ.)
०/८ छत्तीसगढ़